निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 88/2021
दायरा दिनांकः-30.09.2021
निर्णय दिनांकः- 30.5.25

उनवान

1. राधेश्याम आयु 45 वर्ष पुत्र पांचूलाल
2. समन्तरा बाई उर्फ संतोषबाई आयु 42 वर्ष पत्नी राधेश्याम जाति मेहर निवासीगण अमीनपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

बनाम

1. भगवानलाल आयु 35 वर्ष पुत्र खेमचंद
2. हरिसिंह आयु 32 वर्ष पुत्र खेमचंद
3. कमलाबाई आयु 60 वर्ष पत्नी खेमचंद जाति मीना निवासीगण युसुफपुरा
4. राजन्तीबाई पत्नि रामगोपाल
5. दिनेश आयु 22 वर्ष पुत्र रामगोपाल (मृतक)
6. राहुल आयु 16 वर्ष पुत्र रामगोपाल नाबालिग जर्ये वली माता राजन्तीबाई
7. नीता आयु 20 वर्ष पुत्री रामगोपाल
8. मनभर आयु 14 वर्ष पुत्री रामगोपाल नाबालिग जर्ये वली माता राजन्तीबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना निवासीगण ग्राम युसुफपुरा
9. मोहनलाल आयु 57 वर्ष पुत्र पांचूलाल जाति मेहर निवासी अमीनपुरा
10. प्रमोद कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र प्रेमचंद जाति मीना निवासी कुंडी
11. रामनरेश आयु वर्ष पुत्र रमेशचंद जाति मीना
12. मोहनलाल आयु वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीना
13. सुनील आयु वर्ष पुत्र लड्डूलाल
14. अरूण नाबालिग आयु वर्ष पुत्र लड्डूलाल
15. पिंकी नाबालिग आयु वर्ष पुत्री लड्डूलाल जर्ये वली सरपरस्त भाई सुनील पुत्र लड्डूलाल जाति कुम्हार निवासीगण अमीनपुरा हाल मोती कालोनी के नीचे नाला छबड़ा जिला बारां (राज०)
16. किशनगोपाल आयु वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार
17. बबलू आयु 28 वर्ष पुत्र रूघनाथ जाति कुम्हार निवासीगण अमीनपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
18. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज०)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92ए,आर0 टी0 एक्ट0
एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमन्त पारीक – वादी
2. श्री हेमराज सुमन – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92एआर.टी. एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 205 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 206 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 207 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कुल किता पांच रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 16 एवं प्रतिवादी कम 17 के पिता रूघनाथ के नाम शामलाती में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी कम 17 के पिता का देहान्त हो गया है। उसके वारिस प्रतिवादी कम 17 है तथा खातेदार लक्ष्मी पुत्री श्यामलाल का स्वर्गवास हो गया है। उसका कोई वारिस नहीं है। वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमियात जमाबंदी संवत् 2073–76 में प्रतिवादी कम 13, 14 व 15 का हिस्सा 1/30 दर्ज था तथा इसके पूर्व भी प्रतिवादी कम 13, 14 व 15 द्वारा अपने संपूर्ण हिस्से 1/30 का बेचान दिनांक 02.02.2011 को वादिया को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर दिया गया है। तब से प्रतिवादी कम 13, 14 व 15 के हिस्से 1/30 पर वादिया कम 2 काबिज चली आ रही है। वादिया द्वारा वाद में वर्णित प्रतिवादी कम 13 ता 15 के हिस्से 1/30 को खरीदने के पश्चात विक्रय पत्र इंतकाल खोलने के लिए पटवारी हल्का को दिया गया था। उस समय तत्कालीन पटवारी हल्का ने वादिया कम 2 को आश्वासन दिया कि मैंने इंतकाल खोल दिया है तथा असल रजिस्ट्री वादिया कम 2 को लौटा दी गई। जबकि पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 के आधार पर कोई इंतकाल नहीं खोला गया तथा इंतकाल नहीं खुलने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 13 ता 15 का नाम चलता रहा। वादिया कम 2 द्वारा भूमि खरीदने के पश्चात बंटवारा डिकी के आधार पर इंतकाल नंबर 269 से भूमियात का बंटवारा कर अलग दर्ज किया गया। जिससे प्रतिवादी कम 13 ता 15 का हिस्सा 18/413 दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान में भी दर्ज है। प्रतिवादी कम 13 ता 15 द्वारा अपने हिस्से 1/30 वर्तमान हिस्सा 18/413 का बेचान वादिया कम 2 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर दिए जाने से प्रतिवादी कम 13 ता 15 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल नहीं खोलने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 13 ता 15 का नाम दर्ज है। वादिया उनके हिस्से की भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 02.02.11 के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में समन्दराबाई दर्ज है तथा विकय पत्र दिनांक 02.02.2011 में भी समन्द्राबाई दर्ज है एवं आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में संतोषबाई दर्ज है। इस कारण वादिया कम 2 के नाम में भिन्नता होने से वादिया सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे वादिया कम 2 को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः वादिया कम 2

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

राजस्व रिकार्ड में समन्द्राबाई उर्फ संतोषबाई करवाना चाहती है। वाद कारण दिनांक 26.08.2021 को पेश हुआ, जब वादिया अपने खाते की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गई तथा जानकारी ली तो पता चला कि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.02.2011 बाबत् इंतकाल नहीं खुला है तथा वादिया द्वारा प्रतिवादी कम 18 से रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर इंतकाल खोलने तथा समन्द्राबाई के स्थान पर संतोषबाई नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कम 18 ने मना कर दिया तथा दावा करने को कहा। अतः वाद माननीय न्यायालय में पेश है। तिवादी कम 1 ता 12 व प्रतिवादी कम 16 व 17 को सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके खिलाफ वादीगण कोई रिलीफ नहीं चाहते हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 13,14,15 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 29 नकल विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 पेश की गई। आधार कार्ड सन्तोष बाई पहचान पत्र भामाशाह कार्ड आधार कार्ड सुनील कुमार, आधार कार्ड अरूण, आधार कार्ड पिंकी पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 राधेश्याम PW2 दीपक के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है प्रतिवादी क्रम 13,14 व 15 का हिस्सा 1/30 था प्रतिवादी क्रम 13,14,15 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/30 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 को वादिया सन्तरा बाई को बेचान कर कब्जा दिया था। तब से वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा आववासन दिया की इन्तकाल खोला दिया है तथा रजिस्ट्री वादिया को लौटा दी गई। जबकि हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण नही खोला गया। नामान्तरण नही खुलने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 का नाम चला आ रहा है प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया गया कोई हिस्सा शेष नही रहा है परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही होने के कारण वादिया विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादिया का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में सन्तरा बाई दर्ज है एवं अन्य समस्तदस्तावेजात में सन्तोष बाई दर्ज है इसलिए वादिया के नाम में भिन्नता होने के कारण वादिया अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है वादिया विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खोलने एवं सन्तरा बाई के स्थान पर सन्तोष बाई दर्ज करवाने की अधिकारी है वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अमीनपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 29 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 का 1/30 हिस्सा दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 269 दिनांक 13.07.2016 से जर्ये डिक्री बटवारा अनुसार प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 का हिस्सा 18/413 दर्ज है इससे यह साबित होता है कि बटवारा होने से पहले प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 का हिस्सा 1/30 दर्ज था तथा बटवारा होने के बाद हिस्सा 18/412 दर्ज हो गया। वादी क्रम 2 समंतरा का शपथ पत्र पेश कर बयान नहीं करवाये गये है और ना ही दस्तावेज पर प्रदर्श डलवाये गये है। वादी राधेश्याम द्वारा वाद पत्र में अपने पक्ष मे कोई आनुतोष नहीं चाहा गया है। बेचान के दौरान विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 विधि शून्य था क्योंकि बेचानकर्ता प्रतिवादीक्रम 14 व 15 नाबालिग थें। प्रतिवादी क्रम 14 व 15 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया है परन्तु इकबालिया जवाब के आधार पर भूमि हस्तांतरण की अनुमति नही दी जा सकती। प्रतिवादी नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदाकर अपनी भूमि को बैचार/दान करने हेतु स्वतंत्र है इसलिए वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 88/221	धारा 88,89, 91, 92 आरटी एक्ट एवं 136 एलआर एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.05.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री हेमन्त कुमार पारीक	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री हेमराज सुमन	

वाद शीर्षक

उनवान

1. राधेश्याम आयु 45 वर्ष पुत्र पांचूलाल
2. समन्तरा बाई उर्फ संतोषबाई आयु 42 वर्ष पत्नी राधेश्याम जाति मेहर निवासीगण अमीनपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

बनाम

1. भगवानलाल आयु 35 वर्ष पुत्र खेमचंद
2. हरिसिंह आयु 32 वर्ष पुत्र खेमचंद
3. कमलाबाई आयु 60 वर्ष पत्नी खेमचंद जाति मीना निवासीगण युसुफपुरा
4. राजन्तीबाई पत्नि रामगोपाल
5. दिनेश आयु 22 वर्ष पुत्र रामगोपाल (मृतक)
6. राहुल आयु 16 वर्ष पुत्र रामगोपाल नाबालिग जर्ये वली माता राजन्तीबाई
7. नीता आयु 20 वर्ष पुत्री रामगोपाल
8. मनभर आयु 14 वर्ष पुत्री रामगोपाल नाबालिग जर्ये वली माता राजन्तीबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना निवासीगण ग्राम युसुफपुरा
9. मोहनलाल आयु 57 वर्ष पुत्र पांचूलाल जाति मेहर निवासी अमीनपुरा
10. प्रमोद कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र प्रेमचंद जाति मीना निवासी कुंडी
11. रामनरेश आयु वर्ष पुत्र रमेशचंद जाति मीना
12. मोहनलाल आयु वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीना
13. सुनील आयु वर्ष पुत्र लड्डूलाल
14. अरूण नाबालिग आयु वर्ष पुत्र लड्डूलाल
15. पिंकी नाबालिग आयु वर्ष पुत्री लड्डूलाल जर्ये वली सरपरस्त भाई सुनील पुत्र लड्डूलाल जाति कुम्हार निवासीगण अमीनपुरा हाल मोती कालोनी के नीचे नाला छबड़ा जिला बारां (राज०)
16. किशनगोपाल आयु वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार
17. बबलू आयु 28 वर्ष पुत्र रूघनाथ जाति कुम्हार निवासीगण अमीनपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
18. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज०)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.05.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		